**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**14.12.2018 के**

**अतारांकित प्रश्न सं. 598 का उत्तर**

**रेल डिब्बों की स्वच्छता और उनका रखरखाव**

**598. डा॰ सत्यनारायण जटियाः**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) स्टेशनों के आधुनिकीकरण और स्वच्छता के लिये चलाए गये अभियान की वस्तुस्थिति क्या है;

(ख) रेल सेवाओं में डिब्बों की स्वच्छता, सफाई तथा रखरखाव के किये गये उपाय कौन-कौन से हैं;

(ग) काफी जीर्ण-शीर्ण और अत्यधिक पुराने रेलयात्री रैक्स जिनको अविलम्ब बदला जाना आवश्यक है, का ब्यौरा क्‍या है; और

(घ) आरंभिक और गंतव्य स्टेशनों के नाम सहित इन रेकों से चलाई जा रही यात्री गाड़ियों के नाम का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं**

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा)**

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*\*\*

रेल डिब्बों की स्वच्छता और उनका रखरखाव के संबंध में 14.12.2018 को राज्‍य सभा में डा॰ सत्यनारायण जटिया के अतारांकित प्रश्‍न सं. 598 के भाग (क) से (घ) के उत्‍तर से संबंधित **विवरण।**

(क) और (ख) : रेलवे स्‍टेशनों पर सुविधाओं के उन्‍नयन के लिए स्‍टेशनों का आधुनिकीकरण करना सतत् एवं चालू प्रक्रिया है, जिसमें किसी अभियान की कोई आवश्‍यकता नहीं होती है।

साफ-सफाई पर विशेष ध्‍यान दिया जाता है और शौचालयों को उचित रूप से और स्‍वच्‍छ स्थिति में बनाए रखने सहित स्‍टेशनों और सवारी डिब्‍बों में स्वच्छता को बनाए रखने के हर प्रयास किए जाते हैं। स्वच्छता में सुधार के लिए भारतीय रेल द्वारा की जा रही कुछ पहल निम्नानुसार हैः-

1. स्‍वच्‍छ भारत अभियान के तहत 2 अक्‍टूबर,2014 को भारतीय रेलवे पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया था। तब से एक-मात्र उद्देश्‍य के साथ भारतीय रेलों पर सफाई के मानकों में महत्वपूर्ण और टिकाऊ सुधार प्राप्‍त करने के लिए एकल उद्देश्य के रूप में नियमित रूप से गहन प्रचार/अभियान चलाए जाते हैं। प्रचार/अभियान में पोस्‍टरों/बैनरों का प्रदर्शन, जनउद्घोषणा प्रणाली से घोषणाएं, कर्मचारियों की वृहत रूप से भागीदारी और सामाजिक/धर्मार्थ संगठनों और एनजीओ की भागीदारी, सफाई विषय पर “नुक्‍कड नाटक” आदि शामिल हैं।
2. प्रमुख स्‍टेशनों पर बेहतर प्रक्रियाओं और मशीनरी वाले यांत्रिकृत सफाई ठेकों के प्रावधान को तेज कर दिया गया है। इस समय, लगभग 500 स्‍टेशनों पर यांत्रिकृत सफाई की जाती है।
3. स्‍वच्‍छ भारत अभियान के तहत प्‍लेटफार्म लाइनों पर मल को गिरने से रोकने के लिए सवारीडिब्‍बों (ईएमयू को छोड़कर) में जैव-शौचालयों की संस्थापना की गति तेज कर दी गई है। अब 2019 तक भारतीय रेलवे के बड़ी लाइन के समूचे बेड़े में जैव शौचालय संस्‍थापित करने की योजना बनाई गई है।
4. यांत्रिकृत सफाई सहित गाड़ियों के शौचालयों सहित दोनों छोरों पर सवारीडिब्‍बे की सफाई की जाती है।
5. ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सेवा (ओबीएचएस) को विस्तारित किया गया है। इस समय, गाड़ियों के चालन के दौरान सवारी डिब्‍बे के शौचालयों, प्रवेश द्वारों, गलियारों और यात्री कंपार्टमेंटों की सफाई के लिए राजधानी, शताब्‍दी और लंबी दूरी की अन्‍य महत्‍वपूर्ण मेल/एक्‍सप्रेस गाड़ियों सहित 1050 से अधिक जोड़ी गाड़ियों में इसकी व्यवस्था की गई है।
6. लगभग 1000 जोड़ी ओबीएचएस गाड़ियों में “कोच मित्र” सुविधा शुरू की गई है। सफाई, कीटाणुशोधन, लिनेन, गाड़ी के प्रकाश, वातानुकूलन और सवारी डिब्‍बे के पानी जैसी यात्रियों की सवारी डिब्‍बों से संबंधी आवश्‍यकताओं को दर्ज करने के लिए “कोच मित्र” एकल विड़ों इंटरफ़ेस शुरू किया गया है।
7. फीडबैक प्राप्‍त करने और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने के लिए उन कमजोर पाइंटों, जिन पर साफ-सफाई पर अधिक ध्‍यान देने की आवश्‍यकता है, का पता लगाने के लिए 2016 से वार्षिक रूप से तीसरा पक्ष आडिट और साफ-सफाई पर 407 प्रमुख स्‍टेशनों की रैंकिंग भी की जाती है। हाल ही में, 209 महत्‍वपूर्ण गाड़ियों की सफाई का मूल्‍यांकन करने के लिए तीसरा पक्ष सर्वेक्षण भी किया गया है।
8. सफाई/हाउसकीपिंग ठेका की प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए मानक बोली दस्‍तावेज (एसबीडी) और सेवाओं के लिए ठेका की सामान्‍य शर्तें (जीसीसीएस) जारी की गई हैं।
9. भारतीय रेलवे प्रवर्तन (रेलवे परिसरों में सफाई को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए दंड) नियम, 2012 में तेजी लाई गई है।

भारतीय रेलों (आईआर) पर चलने वाले सवारीडिब्‍बों का निर्धारित मानदंडों के अनुसार आवधिक अनुरक्षण किया जाता है जिसमें बेहतर संचालन स्थिति के लिए सभी संरक्षा और सुविधा फिटिंगों की जांच की जाती है और खराब कल-पुर्जों की मरम्‍मत अथवा बदलाव किया जाता है। अनुरक्षण के दौरान उचित सफाई और सभी डिब्‍बों में पूरी तरह जलभराई को भी सुनिश्चित किया जाता है।

(ग): यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली मौजूद है कि वे सवारीडिब्‍बे जो अपनी निर्धारित सेवा आयु पूरी कर चुके हैं, को भारतीय रेलों पर गाड़ियों में लगाए जाने की अनुमति नहीं होती है। आयु-सह-स्थिति आधार पर गाड़ियों से सेवारत सवारीडिब्‍बों का प्रतिस्‍थापन करना एक सतत् प्रक्रिया है। लिंक हॉफमैन बुश (एलएचबी) सवारीडिब्‍बों के प्रगतिशील प्रसार के साथ, आईसीएफ (सवारी डिब्‍बा कारखाना) रेकों का नए एलएचबी सवारीडिब्‍बों/रेकों से बदलाव किया जा रहा है।

(घ): प्रश्न नहीं उठता।

\*\*\*\*\*